

21-02-18

डिक्रीदार पक्ष अनुपस्थित।

मदयून अनिर्वाहित।

प्रकरण मदयून की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में बार बार पुकार लगाये जाने के पश्चात डिक्रीदार पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है, जबकि समय 4:45 पी.एम. होकर समाप्ति की ओर है और डिक्रीदार पक्ष की अनुपस्थिति के संबंध में कोई योग्य कारण भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं तथा प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 05.01.11 से लंबित इस इजरा प्रकरण में न्यायालय द्वारा बार-बार कड़े निर्देशों के साथ अनेकानेक अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई तलवाना डिक्रीदार पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त समस्त के आलोक में मामले में डिक्रीदार पक्ष की रुचि नहीं रह जाना प्रकट होने से यह इजरा प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड